संशोधित सूचना

कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर। पत्रांक 573 / 14 न शाहजहांपुर, ५ दिनांक, 9 2020

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, शाहजहांपुर।

विषय:-

जनपद शाहजहांपुर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पुत्तू लाल चौराहा, रोजा अडडा चौराहा (चैनेज नं0-0.00-2.750), हथौड़ा चौराहा-पुत्तू लाल चौराहा, (चैनज 0.00-2.750), जी० आई० सी० से अटसलिया रेलवे फाटक रोड (चैनेज नं0 -0.00-3.950), बरेली मोड़ से गर्रा सेतु रोड (चैनेज नं0-0.00-1.800) तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 9.16 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 523 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक ८बी० / यू०पी० / ०६ / २९ / २०२० / एफ०सी० / ६०४ दिनांक २७-०५-२०२०।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो विशेष सचिव, वन उ०प्र०, शासन को सम्बोधित तथा आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठािकंत है, के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सैद्वान्तिक स्वीकृति आदेश के समस्त शर्तों की बिन्दवार अनुपालन आख्या पूर्ण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं0—4380/14—1 दिनांक 10—06—2020 द्वारा आपको अवगत कराया गया था आप के पत्रांक सं0—2225/20 एम०जी० दिनांक 26—08—2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा 204 ब्रिकगार्ड में वांछित धनराशि को प्रस्ताव से हटाने के निर्देश दिये गये है। अतः बिन्दु सं0—1 के कम में वांछित धनराशि संशोधित कर दी गयी है। अतः निम्नानुसार धनराशि कैम्पा फण्ड में शीघ्र जमा कराते हुए इस कार्यालय को अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें :—

Conditio	n Condition	
No.	Condition	Status of Compliance
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। वन भूमि की वैधानिक स्थिति में काई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	1—क्षातपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित रु० 43.24 लाख (तैंतालीस लाख चौबीस हजार मात्र) को ई—पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा की जायेगी।
	The State Goveniment shall charge the Net Present Value(NPV) for the 9.16 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003. as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	प्रस्तावित वन भूमि 9.16 है0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य 6.26 लाख प्रति है0 की दर से रु0 57.34160 लाख (सत्तावन लाख चौतीस हजार एक सौ साठ मात्र) को ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा की जायेगी।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency-shall furnish an undertaking to this effect	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन० पी० वी० की दरा में राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा कोई भी बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकण द्वारा जमा की जायेगी।

		— <u>- 14 A</u>]
1	to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest	प्रयोक्त एजेन्सी इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रभावित वृक्षों का न्यूनतम पातन किया जायेगा।
	shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	
7	All the Funds received Form the user agency under the Project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	उपरोक्त सभी निधिया कैम्पा फण्ड के पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से केवल कैम्पा फण्ड में हस्तातरित / जमा की जायेगी।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. The certificate has to In submitted in prescribed format as per FCA guidelines.	कार्यदायी संस्था से वांछित।
9	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	प्रयोक्ता एजेन्सी अपने व्यय पर आई आर सी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनो पटरियों पर तथा केन्द्रीय कगार पर पट्टी रोपण किये जाने के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
10	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि संरक्षित क्षेत्रों / आरक्षित क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाया जायेगा।
11	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area /Forest Area as per recommendations of CW LW/NBWL/FAC/REC.	कार्यदायी संस्था से वांछित।
12	User Agency shall obtain Environmental Clearance As the Per the provisions of the Environmental (Protection) Act 1986. If Applicable.	कार्यदायी संस्था से वांछित।
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, भारत सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
14	No labour camp shall be established on the forest land	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
15	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि मार्ग निर्माण में वैकल्पिक सामग्री ईंधन आदि की समस्त व्यवस्थायें प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा की जायेगी।
16	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार प्रभावित वन भूमि की सीमा को उचित रुप से सीमांकन किया जायेगा।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि प्रचलित मार्ग के अतिरिक्त कोई नया मार्ग नहीं बनायेंगे।
18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. whichever is less.	इस अनुमादन के तहत
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 42/2017-FC dt. 29/01/2018. Any other condition that the Ministry of Environmat, Forests and Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest and wildlife	को हस्तांतरित नही किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि प्रस्तावित स्थल पर MoEF & CC Guideline F. No. 42/2017-FC dt. 29/01/2018 का उल्लघन नही किया गया। प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वनों की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का उनके द्वारा पालन किया जायेगा।
24	The compliance report shall be uploaded on portal (https://parivesh.nic.in/)	कार्यदायी संस्था से वांछित।

उक्त के अतिरिक्त 523 वृक्षों के छपान की धनराशि रू० 50 प्रति वृक्ष की दर से रू० 26150.00 (छब्बीस हजार एक सौ पच्चास मात्र) का बैंक ड्रॉफ्ट जो प्रभागीय वनाधिकारी शाहजहॉपुर के नाम देय हो उपलब्ध करायें।

भवदीय

(आदर्श कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी, वन्भएवं वन्य जीव प्रभाग,

शाहजहांपुर।

पत्रांक

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:— 1— मुख्य वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र० कैम्पा लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2— वन सरंक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (आदर्श कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।